UPEW010048852025

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–1, इटावा।

मध्यस्थ निष्पादन वाद सं०–130/2025

शीला देवी बनाम बनाम परियोजना निदेशक आदि

दिनांक–09.03.2026

पुकारा। मध्यस्थ निष्पादन वाद पत्रावली पेश हुई। डिक्रीदार मय अधिवक्ता तथा एन.एच.ए.आई. एवं सक्षम प्राधिकारी की ओर से डी.जी.सी. (सिविल) उपस्थित आये। आदेशपत्र पर डिक्रीदार के अधिवक्ता मनीष कुमार बघेल द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन किया है कि डिक्रीदार को 1,92,36,556/–रूपये प्राप्त हो चुका है। डिक्रीदार को 2018 से ब्याज की रकम प्राप्त नहीं करायी गयी है, जिसे प्राप्त करने हेतु डिक्रीदार नया इजरायवाद प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र होगा, इस स्वतंत्रता के साथ वर्तमान इजरायवाद पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। जिस पर डिक्रीदार शीला देवी का भी निशानी अंगूठा अंकित किया गया है।

इजरायवाद के परिशीलन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार शीला देवी ने अपर आयुक्त (प्रशासन) कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांकित 14.07.2023 के आधार पर 1,95,36,301.40/–रूपये मय ब्याज तथा दिनांक 06.04.2018 से वास्तविक अदायगी तथा 15% ब्याज के साथ प्राप्त करने हेतु उक्त निष्पादन वाद प्रस्तुत किया है। चूंकि डिक्रीदार को उक्त धनराशि 1,92,36,556/–रूपये प्राप्त हो चुका है। ब्याज की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए नये इजरायवाद की स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत इजरायवाद पूर्ण संतुष्टि के साथ निस्तारित किये जाने की याचना की है। चूंकि डिक्रीदार को प्रस्तुत इजरायवाद में ब्याज की रकम के अलावा अवार्ड की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इजरायवाद इस शर्त के साथ पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किये जाने योग्य है कि ब्याज की रकम के संबंध में डिक्रीदार अलग से इजरायवाद लाने के लिए स्वतंत्र होगा। अतः उक्त इजरायवाद उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किये जाने योग्य है, निस्तारित किया जाता है। मध्यस्थ निष्पादन वाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अखिलेश कुमार)

अपर जिला जज

कोर्ट नं0–1, इटावा।

JO CODE– UP6281

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.03.09 17:30:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court